प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण दिनांक :30मार्च, 2020

विषयः— Corona Virus Disease COVID-19 से बचाव एवं प्रबन्धन हेतु कोविड—19 के पॉजिटीव केसेस की Contact Tracing के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कोरोना वायरस कोविड—19 के पॉजिटीव केसेस की Contact Tracing की जानी है। Contact Tracing का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें अनिवार्य रूप से पॉजिटीव केस के सम्पर्क में आये शत—प्रतिशत व्यक्तियों की Contact Tracing कर चिन्हित किया जाना है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु पूर्व में ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। साथ ही उक्त को सरलीकृत करते हुये पुनः दिशा—निर्देश जारी किये गये है (पत्रांक UKHFWS/PS/MD-NHM/2019/20/01/220 दिनांक 24/03/2020)। उक्त के क्रम में जनपदवार रैपिड रेस्पान्स टीम/ब्लाक रेसपान्स टीमों (आर0आर0टी0/बी0आर0टी0) का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इन आर0आर0टी0/बी0आर0टी0 के द्वारा अपने—अपने क्षेत्र में अनुश्रवण कार्य किया जा रहा होगा।

कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्य हेतु जनपद में एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाकर यह कार्य सम्पादित किया जाना है। इस हेतु जनपद में तैनात अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को इसका नोडल अधिकारी नामित किया जाये। अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को तकनीकी सहयोग जनपद में तैनात District Surveillance Officer/ IDSP Epidemiologist के द्वारा प्रदान किया जाये। अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में District Surveillance Officer/ IDSP Epidemiologist के अतिरिक्त Contact Tracing हेतु स्वास्थ्य एवं प्रशासन की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाये, जो कि पॉजिटीव केसेस के सम्पर्क में आये व्यक्तियों की शत प्रतिशत Contact Tracing पूर्ण करे। यह टीम उपरोक्त वर्णित आर0आर0टी0/बी0आर0टी0 का सहयोग लेते हुये Contact Tracing का कार्य पूर्ण करेगी। अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में उक्त टीम का गठन करते हुए उसकी सूचना मय उनके सम्पर्क मोबाइल नम्बर के राज्य नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

राज्य नियंत्रण कक्ष से पॉजिटीव केसेस की सूचना प्राप्त होने पर जनपद द्वारा उक्त वर्णित टीमों के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या राज्य नियंत्रण कक्ष को

Scanned by CamScanner

उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि अन्य जनपदों अथवा प्रदेश के बाहर के अन्य जनपदों के द्वारा पॉजिटीव केसेस के Contact Tracing की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में भी उक्त टीमें त्वरित कार्यवाही करते हुये सूचना सम्बन्धित जनपदों को एवं राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेगी।

अतः Contact Tracing के अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य को उक्तानुसार पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– 23प/आई0डी0एस0पी0/कोविड–19/2020/580 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
4. अपर मिशन निदेशक/जनपदीय नोडल अधिकारी हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. देहरादून सैटेलाइट कन्ट्रोल रूम, कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 कार्यालय, देहरादून।
6. हरिद्वार सैटेलाइट कन्ट्रोल रूम, कमान्डेन्ट 40, पी0ए0सी0 कार्यालय, हरिद्वार।
7. प्रभारी अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 उत्तराखण्ड।

30/7/20

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Scanned by CamScanner